कबीरधाम पुलिस
आपकी सेवा में सदैव तत्पर

जिला - कबीरधाम

दिनांक-- 14/12/2020

थाना कवर्धा

- **हत्या के मामले का हुआ खुलासा**
- **मौके पर प्राप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं गवाहों के बताये तथ्यों के आधार पर 24 घंटे के अंदर हुआ हत्या के कारणों की जानकारी**
- **मृतक के पिता एवं सौतेली माॅ ने किया अपने पुत्र की किया हत्या।**

थाना कवर्धा क्षेत्रांतर्गत रामनगर महराजपूर नहर के पास खेत में दिनंाक 13.12.2020 को अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना थाना कवर्धा में प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर थाना कवर्धा से टीम पहूंचकर मौका मुआयना किया तथा शव से प्राप्त आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजो से शव की शिनाख्तगी सुरेश साहू निवासी ग्राम कांपा का होने से उनके परिजनों को तलब कर शिनाख्तगी कार्यवाही पश्चात् मर्ग पंचयातनामा कार्यवाही किया गया। मृतक के सिर में गंभीर चोट तथा गर्दन में रस्सी से खींचा हुआ निशान पाये जाने से प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध घटित होना प्रतीत होने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों से द्वारा तत्काल थाना से विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी किये जाने निर्देशित किया। घटना के बाद मृतक के मामा पक्ष द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक सुरेश साहू और मृतक का पिता मेसराम साहू के मध्य जमीन

हिस्सा बंटवारे के संबंध में आये दिन लडाई झगडा होते रहता था तथा मृतक की मां ने दूसरी जगह शादी कर लिये जाने से मृतक अपने मामा के घर ग्राम डंगनिया में रहा था तथा मृतक के पिता मेसराम साहू ने भी दूसरे शादी कर लिया है तथा 07 एकड़ जमीन को अपनी दूसरे पत्नी तथा बच्चो के नाम कर दिया है। मृतक सुरेश साहू द्वारा हिस्सा बंटवारे के नाम से सिविल कोर्ट में केस दायर किया था तो कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है कि मृतक अपने पिता के साथ ग्राम कांपा में रहेगा तभी हिस्सा का पात्र है। तब आज से करीब 02 वर्ष पूर्व से मृतक अपने पिता के साथ ग्राम कांपा में रह रहा था तथा हिस्सा बंटवारे के नाम से आये दिन लडाई झगडा हो रहा था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मृतक के पिता एवं उसकी सौतली मा ॅ से पुछताछ किया जिन्होने बताया कि दिनंाक 12.12.2020 को रात्रि में मृतक तथा मृतक के पिता के मध्य में संपत्ति के संबंध में पुनः लडाई झगडा हुआ। लडाई झगडा के दौरान धक्का मुक्की होने से मृतक सुरेश साहू जमीन में गिर गया जिससे उसके नाक, मस्तक में चोट आने से खुन निकलने लगा। फिर आरोपी मेसराम साहू एवं उसकी पत्नी रामकंुवर साहू ने उसकी हत्या करने की नियत से सिलिकान साड़ी से बना हुए रस्सी से मृतक के गला को कसकर दबाने से मौके पर उसकी मृत्यु हो गयी तथा शव को छुपाने की नियत से आरोपियों द्वारा उसके गाडी में लादकर कवर्धा नहर के किनारे खेत में फेंक दिये और शव की शिनाख्तगी ना हो सके इसलिये वहीं खेत में पडे पत्थर से उसके चेहरे में बार-बार वार किये। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्री बी.आर.मण्डावी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/अजाक कबीरधाम के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी कवर्धा एवं उनकी टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर हत्या का मामला का खुलासा किया।